NERP-2016-2

ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.6(1)(35)रोल / निर्वा / 2016 / मतदान केन्द्र / 1033 जयपुर, दिनांक 10-03-2016

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान–2016 मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन एवं सुव्यवस्थिकरण करने के संबंध में।

प्रसंग : इस विभाग का पत्र क्रमांकःप3(2)(1)रोल / निर्वा / 2015 / पार्ट–II / NERP/942 **दिनांक 03 मार्च, 2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 942 दिनांक 03.03.2016 के द्वारा **"मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान – 2016"** के अन्तर्गत विभिन्न कार्य करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए है। आयोग द्वारा इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर मतदान केन्द्रों को सुव्यवस्थित करने हेतु निर्देश भी दिए है।

2. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार माह मार्च / अप्रैल 2016 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। आयोग के उक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जिला / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

2.1 नोडल अधिकारी की नियुक्ति – जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से अनुरोध है कि वह जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन एवं सुव्यवस्थितकरण की कार्यवाही हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें तथा इसकी सूचना विभाग को यथाशीघ्र प्रेषित करें। उक्त नोडल अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से समन्वय कर मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन एवं सुव्यवस्थितकरण के कार्य की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे तथा समय–समय पर जिला निर्वाचन अधिकारी को कार्य की प्रगति से अवगत करायेंगे।

2.2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भौतिक सत्यापन हेतु अधिकारी की नियुक्ति – विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य स्वयं करेंगे, यदि किसी कारण से यह कार्य उनके द्वारा सम्पादित किया जाना सम्भव नहीं है तो इस कार्य हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इस कार्य हेतु नियुक्त किया जा सकता है।

2.3 **भौतिक सत्यापन हेतु समयावधि** – भौतिक सत्यापन का कार्य यह निर्देश प्राप्त होने के तुरन्त बाद प्रारम्भ किया जाए तथा दिनांक 10 अप्रैल, 2016 तक उक्त कार्यवाही आवश्यक रूप से पूर्ण की जावें।

3. **मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन** – पैरा 2 के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का यथास्थिति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु एक प्रपत्र **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार तैयार किया गया है जो कि इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस प्रपत्र के सभी कॉलमों का भलीभाँति अध्ययन कर लें जिससे कि मौके पर तद्नुसार इस प्रपत्र में सूचना संकलित की जा सके। भौतिक सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रपत्र के विभिन्न कॉलमों की पूर्ति निम्न प्रकार से की जाए।

3.1 भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी संबंधित मतदान केन्द्र के सुपरवाईजर/बीएलओ (मय मतदाता सूची के) यथासंभव अपने साथ रखेंगे, जिससे कि मतदान केन्द्रों से संबंधित समस्त सूचना का संकलन करने में सुविधा हो सकें।

3.2 प्रपत्र के कॉलम संख्या 2 व 3 में मतदान केन्द्रों का स्थान, भवन के नाम आदि की सूचना अंकित की जानी है। मतदान केन्द्रों के भवन के लोकेशन का नाम विस्तृत रूप से अंकित किया जाए ताकि इनको चिन्हित करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसी प्रकार से कालम संख्या 4 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये है कि मतदान केन्द्र सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा प्राईवेट भवन में स्थापित है।

3.3 कॉलम संख्या 5 में मतदाताओं की संख्या का अंकन अर्हता तिथि 01.01.2016 के सन्दर्भ में अन्तिम रूप से दिनांक 11 जनवरी, 2016 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर किया जाए। इसी प्रकार से कॉलम संख्या 6 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि मतदान केन्द्र धार्मिक स्थल/पुलिस स्टेशन/अस्पताल में स्थापित नहीं है। मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में इसका उल्लेख कॉलम संख्या 7 व 8 में अंकित किया जाए। उक्त सूचनाएं संकलित करने का यह उद्देश्य है कि यदि कोई मतदान केन्द्र धार्मिक स्थल/पुलिस स्टेशन/अस्पताल में स्थापित है अथवा क्षतिग्रस्त है तो ऐसे मतदान केन्द्रों को

मतदान केन्द्र के क्षेत्र में ही सरकारी भवन होने की स्थिति में स्थानांतरित कर स्थापित किया जा सके। यदि भौतिक सत्यापन के समय उपरोक्तानुसार स्थिति पाई जाती है तो मतदान केन्द्र के क्षेत्र में सरकारी भवन को चिन्हित किया जावे।

3.4 भौतिक सत्यापन के समय कॉलम संख्या 9 में मतदान केन्द्रों का माप सावधानीपूर्वक अंकित किया जाए। आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मतदान केन्द्र के कक्ष का आकार 20 वर्ग मीटर का होना आवश्यक है। भौतिक सत्यापन के समय यह भी सूचना संकलित की जाए कि एक ही भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थित है अथवा नहीं, तद्नुसार कॉलम 10 की पूर्ति की जाए। इस विषय में आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि सभी मतदान केन्द्र भूतल पर स्थापित होने चाहिए तथा इसके साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में एक भवन में चार से अधिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दो से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित नहीं होने चाहिए। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है तो मतदान केन्द्र को स्थानांतरित करने हेतु मतदान केन्द्र के क्षेत्र में ही उपयुक्त सरकारी भवन चिन्हित किया जाए जो कि आयोग के निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करते हो। भौतिक सत्यापन के समय वर्तमान के जिस कक्ष में मतदान केन्द्र स्थापित है उसके विषय में यह ध्यान रखा जाए कि उसमें दो दरवाजे है। यदि कक्ष के एक ही दरवाजा है तो उसी भवन में दो दरवाजे वाला कक्ष चिन्हित किया जाए।

4. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के समय मतदान केन्द्रों के नजरी नक्शें नये सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए है। नजरी नक्शें तैयार करते समय उसमें सम्मिलित सभी अनुभागों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए तथा मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मार्ग को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए तथा यह भी अंकित किया जाए कि उस क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक पहुँचने हेतु कितनी दूरी तय करनी होगी। इसका उल्लेख **परिशिष्ट–1** के कॉलम संख्या–12 में किया जाए।
5. यदि वर्तमान में भौतिक सत्यापन के समय किसी मतदान केन्द्र पर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित है तो तद्नुसार सहायक मतदान केन्द्र की सूचना का अंकन कॉलम संख्या–14 में किया जाए।

6. आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र के भौतिक सत्यापन के समय मतदान केन्द्र का वास्तविक फोटों भी लिया जाना है साथ ही जिस कक्ष में मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है उसकी नाप–जोख (Measurement) भी की जानी है। अतः भौतिक सत्यापन के समय पटवारी/अन्य दक्ष कर्मचारियों को अपने साथ रखें ताकि तद्नुसार कार्यवाही की जा सके।

मतदान केन्द्रों की फोटों लेने हेतु जिले में उपलब्ध डिजिटल कैमरों का इस्तेमाल किया जाए जो कि विभाग द्वारा लोकसभा/विधानसभा आम चुनाव के दौरान उपलब्ध कराए गए है। इस क्रम में आयोग द्वारा प्राप्त फोटो **परिशिष्ट–2** के अनुसार है।

7. मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध नागरिक सुविधाओं की सूचना का संकलन इस पत्र के साथ संलग्न **परिशिष्ट '1'** के कॉलम संख्या 15 से लेकर 26 में किया जाना है। इस विषय में उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा एवं लोकसभा आम चुनाव/ उप चुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु विशेष दिशा–निर्देश जारी किए है जिससे मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। भौतिक सत्यापन का कार्य करने वाले अधिकारी इन सूचनाओं का अंकन स्पष्ट रूप से करेंगे ताकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/आरओ के पास नागरिक सुविधाओं से संबंधित सूचना आदिनांक रहें। इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र कमांक 23/2016 (NERP)/ERS दिनांक 04.03.2016 द्वारा मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के लिए नमूना चैकलिस्ट प्राप्त हुई है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है। यदि वर्तमान में स्थापित भवनों में नागरिक सुविधाओं का अभाव है तो ऐसी स्थिति में मतदान केन्द्र के क्षेत्र में अधिक सुविधाजनक सरकारी भवन उपलब्ध है तो इसके स्थानांतरण के विषय में भवन को चिन्हित किया जाए, जिससे आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर ऐसे मतदान केन्द्रों के भवन स्थानांतरित की कार्यवाही की जा सके।

8. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **गूगल मैप** पर मतदान केन्द्रों की लोकेशन को चिन्हित कर इनकी मैपिंग करने के निर्देश दिए है। इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि वर्ष 2013 में विधानसभा आम चुनाव से पूर्व राज्य में सभी मतदान केन्द्रों के लोगीट्यूट एवं लेटीट्यूट की सूचना संकलन कर मतदान केन्द्रों की लोकेशन को गूगल मैप पर अपडेट की गई थी। इस कार्य को तत्समय जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों के परिपेक्ष में संकलित कर आवश्यक कार्यवाही की गई थी।

   8.1 राज्य के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बेवसाइट पर उपलब्ध लिंक "Polling Station Location on Google Map" पर जाकर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदान केन्द्र गूगल मैप पर सही दर्शाये जा रहे है अथवा नहीं। यदि किसी मतदान केन्द्र की लोकेशन गूगल मैप पर गलत दर्शायी जा रही है तो उसके नये लोगीट्यूट एवं लेटीट्यूट गूगल मैप पर आदिनांक कर उसकी लोकेशन सही किया जाना सुनिश्चित करें।

8.2 इसके अतिरिक्त गूगल मैप पर प्रत्येक मतदान केन्द्र के DEO, ERO व BLO का नाम तथा मोबाईल नम्बर भी प्रदर्शित हो रहा है। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त विवरण की भी जॉच कर ले तथा यदि BLO की सूचना अपडेट करने की आवश्यकता है तो PGR Portal पर अपने स्तर पर अपडेट करना सुनिश्चित करें एवं DEO एवं ERO की सूचना अपडेट करने के लिए इस विभाग को E-mail (ceojpr-rj@nic.in and dyceo-rj@nic.in) पर संशोधित सूचना प्रेषित करें। DEO व ERO से संकलित उक्त सूचना विभाग द्वारा अपडेट कर दी जावेगी।

9. मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के कार्य के दौरान संबंधित बीएलओ/सुपरवाईजर से चर्चा कर यह सुनिश्चित करें कि किसी मतदान केन्द्र का कोई अनुभाग गलती से किसी अन्य मतदान केन्द्र में सम्मिलित नहीं है। यदि अनुभाग का गलत वर्गीकरण किया गया है अथवा नए अनुभाग सृजित किए जाने है तो तद्नुसार इनकी मौके पर जानकारी प्राप्त कर भौतिक सत्यापन के प्रपत्र में टिप्पणी वाले कॉलम संख्या–27 में इसका अंकन किया जाये, ताकि मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के पश्चात् प्रस्ताव तैयार करते समय इस सूचना का उपयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जा सके।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों से यथाशीघ्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अवगत कराया जाए तथा निर्धारित दिनांक तक भौतिक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाए। मतदान केन्द्रों के संशोधन/सुव्यवस्थिकरण के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने हेतु पृथक से विस्तृत दिशा–निर्देश आपको यथाशीघ्र भिजवाये जा रहे है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(राजेश यादव)
कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान

क्रमांकः प.6(1)(35)रोल/निर्वा/2016/मतदान केन्द्र/ **जयपुर, दिनांक**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
2. समस्त संभागीय आयुक्त, (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
3. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
4. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (आई.टी.) को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त दिशा–निर्देश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
5. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट का परिशिष्ट–1

जिले का नाम ....

संख्या .... नाम .... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या .... नाम ....एवं आरक्षण की स्थिति ....

क्र0सं0	मतदान केन्द्र का स्थान (लोकेशन)	भवन का नाम एवं पता	भवन की विशिष्ठियां (सरकारी / अर्द्धसरकारी / प्राईवेट)	मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र धार्मिक स्थल, पुलिस स्टेशन या अस्पताल में तो स्थापित नहीं है,? उल्लेख करें।	मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति	मतदान केन्द्र क्षतिग्रस्त / जीर्ण–शीर्ण तो नहीं है? क्या मतदान केन्द्र के आस–पास उचित भवन उपलब्ध है ?	मतदान केन्द्र का 20वर्गमीटर का न्यूनतम क्षेत्रफल है या नही?	क्या भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र है? संख्या लिखे	क्या मतदान केन्द्र मतदान क्षेत्र से बाहर है?	मतदान केन्द्र तक पहुँचने हेतु रोड की स्थिति (मतदान केन्द्र तक चलकर पहुंचने हेतु कितनी दूरी तय करनी होगी)	क्या मतदान केन्द्र ऊपरी मंजिल पर है?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

मतदान केन्द्र के साथ स्थापित सहायक मतदान केन्द्र का उल्लेख	क्या मतदान केन्द्र में निम्न सुविधाएं उपलब्ध है							क्या भवन के चारों ओर चारदीवारी (Boundry wall) है?	क्या विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है?	क्या सिलिंग फैन लगा हुआ है? व चालु है?	खिड़किया / दरवाजे टूटे हुए है या ठीक है?	क्या आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्थायी रैम्प है या नहीं?	टिप्पणी
	पेयजल	शौचालय / मुत्रालय	शेड	प्रकाश	फर्नीचर	आवागमन हेतु दरवाजे है अथवा नहीं?	पुरूष / स्त्री मतदाता एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र धारित या जिनके पास पहचान पत्र नहीं है की पृथक–पृथक लाइन हेतु स्थान उपलब्ध है या नहीं?						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

दिनांकः–

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :

पद :

परिशिष्ट - 2

Polling Booth and BMF details

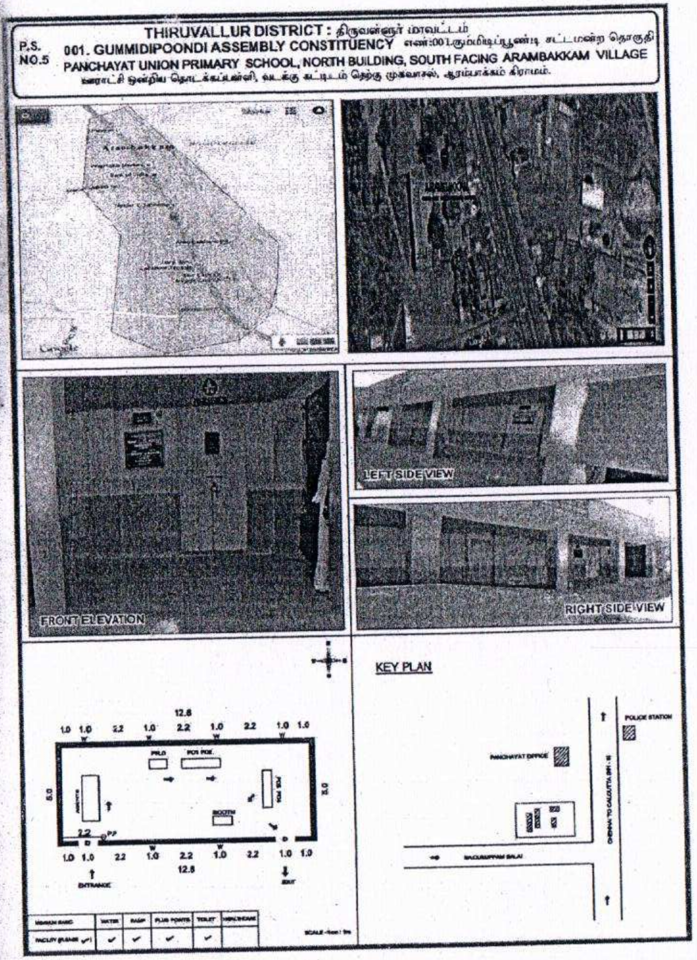

BMF	YES/NO
Separate Entrance and Exit for Voters	Yes
Ramp Facility	Yes
Drinking Water facility	Yes
Furniture Facility	Yes
Toilet Facility	Yes
Waiting Room/ Shaded Area	Yes

By E-Mail/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 23/2016(NERP)/ERS/

Dated: 4th March, 2016

To,

The Chief Electoral Officers of all States/UTs
(except Assam, Bihar, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal and Puducherry)

Subject: NERP guidelines-regarding.

Sir/Madam,

Please refer to NERP guidelines recently circulated *vide* letter dated 27th February, 2016. Enclosed please find simple check list for verification of PS/alternative locations for PS. This is only an illustrative list and not exhaustive one. The CEOs may amplify this as per their need.

Yours faithfully,

Rajan Aggarwal

(Rajan Aggarwal)
for Under Secretary

899 /CEO/Pr. Secy.
Dated 8/3/16

List of assessment, inventory and categorization of polling stations including BMFs

SN	Items to be checked	For existing PS	For alternative locations
	BMFs related		
1	Provision of ramp(with ECI specification)		
2	Provision of drinking water		
3	Adequate Furniture		
4	Proper lighting		
5	Toilet		
	If there is proper shelter for voter's Que.		
	PS location		
6	Building if dilapidated		
7	If voter to cross river or other barrier		
8	If in Govt. building / in private building		
9	If phone connection available in building		
10	If Room area less than 20 meter		
11	If Party office within 200 metres		
12	If situated in religious place		
13	If the PS is situated outside the polling area		
14	If Voter cover 2km or more		
15	If situated on first floor or above		
16	If large number of hamlets inhabited by minorities, SC/ST who falls vulnerable sections/category.		
17	If polling area is precisely and corrected defined and described in the list of PSs.		